एस.टी.डी./STD 05278
V.C. 246223, 246330 (O)
V.C. 246224, 245209 (R)
फैक्स/Fax V.C. 246330 (O), 245209 (R)
Registrar 245957 (O), 246042 (R)
F.O. 246386 (O), 225958 (R)

डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)
Dr. RAM MANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD (U.P.)

पत्रांक /Ref. : लो0अ0वि0/सम्ब0/1559/ /2010 दिनाँक/Date : 29-01-2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
टी0आर0सी0 लां कालेज,
सतरिख, बाराबंकी ।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या : 5097/सत्तर-6-2009-21479(1)/2009 दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के अधीन आपके महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विधि संकाय के अन्तर्गत एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है । महाविद्यालय को शासन/विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के निर्णयानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की जाती है ।

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिए जायेंगे ।
2. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-21494(1)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-21494(1)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निदेशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

भवदीय

सहायक कुलसचिव(सम्ब0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. परीक्षा नियन्त्रक
2. समन्वयक, एल0एल0बी0 प्रवेश
3. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ ।
4. सहायक कुलसचिव(परीक्षा)